न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 67/2024 G.C.M.S. No. 2024/239 दर्ज दिनांक : 24.07.2024

अपीलार्थिगण:

1. गनी खां पुत्र श्री पीरू खां, जाति मुसलमान, निवासी नया गांव, सोजत सिटी, तहसील सोजत जिला पाली।
2. शहीदा बानों पुत्री गनी खां, पत्नी मोहम्मद हुसैन, जाति मुसलमान, निवासी चांदणा भाकर, ज्योति नगर, जोधपुर।
3. मुनकी पुत्री गनी खां, पत्नी वली मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी बीजापुर, तहसील सोजत जिला पाली।
4. भूरी बानों पुत्र गनी खां, पत्नी वायद खां, जाति मुसलमान, निवासी नया गांव, सोजत सिटी, तहसील सोजत जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. हारून मोहम्मद पुत्र श्री मजिद खां तथाकथित पौत्र गनी खां, जाति मुसलमान, निवासी नया गांव, सोजत सिटी, तहसील सोजत जिला पाली।
2. सब रजिस्ट्रार उप–पंजीयन कार्यालय, सोजत।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखिलाफ आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी सोजत आदेश दिनांक 09.04.2024 राजस्व विविध संख्या 121/2023 बअनवान हारून मोहम्मद बनाम गनी खां।

उपस्थित–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री सदाम काजी विद्वान अभिभाषक अपीलाण्टगण
2. श्री पवन कुमार सैन, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांक: 16.10.2024

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सोजत के राजस्व विविध संख्या 121/2023 बअनवान हारून मोहम्मद बनाम गनीखां में पारित आदेश दिनांक 09.04.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि ग्राम चौपड़ा के खसरा [illegible]6, 1448 कुल रकबा 2.0100 हैक्टेयर तथा सरहद मौजा [illegible]/821 कुल रकबा 1.3000 हैक्टेयर ग्राम सरहद मौजा नया गांव के खसरा [illegible], 146, 147 कुल रकबा [illegible] तथा सरहद मौजा नया गांव सोजत के खसरा [illegible]र 654/1 रकबा 0.7000 [illegible] मौजा नया गांव, सोजत के खसरा नंबर 2, 73, 81 कुल रकबा 5.1700 हैक्टेयर की कृषि भूमि अपीलांट संख्या 1 गनी खां के खातेदारी की व कब्जेकाश्त की कृषि भूमि है

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.05.05 15:59:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तथा गनीखां के उक्त भूमि पर निजी हक अधिकार व कब्जा है व गनी खां की कृषि भूमि के संबंध में हारून मोहम्मद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने आपको पौत्र बताकर दावा धारा 92ए व 188 काश्तकारी अधिनियम का पेश किया तथा इसके साथ धारा 212 आर.टी. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की एकतरफा कार्यवाही कर टी.आई. प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दावे तथा प्रार्थना पत्र में अपने पिता मजीद खां को पक्षकार नहीं बनाया है। प्रकरण के पक्षकार सुन्नी मुस्लिम पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं। वादग्रस्त भूमि गनीखां की निजी संपत्ति है। जिससे वह अपनी सुविधानुसार उपयोग एवं हस्तांतरण कर सकता है। गनीखां के जीवित रहते गनीखां के पुत्र–पुत्रियों को कोई अधिकार नहीं मिलते। तथा पैतृक संपत्ति का सिद्धांत मुस्लिम लॉ में लागू नहीं होता है। इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हारून मोहम्मद द्वारा अपने आपको पौत्र बताकर स्थाई निषेधाज्ञा का दावा एवं टी.आई. पेश किया गया है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर अपीलांट संख्या 1 के तमाम खसरान की भूमि के रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति के आदेश दिए हैं, जो विधिविरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्य की भारी भूल की हैं। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश विधि के प्रावधानों के विरूद्ध है। अपीलांट संख्या 1 गनीखां द्वारा दिनांक 05.02.2024 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अधिवक्ता मुकर्रर करने हेतु समय चाहा गया तो अपीलांट को दिनांक 28.02.2024 की पेशी दी गई। इसके पश्चात अपीलांट दिनांक 28.02.2024 को अधीनस्थ न्यायालय में पहुंचा, तब पीठासीन अधिकारी न्यायालय में उपस्थित नहीं थें एवं अपीलांट को बाद में आने का कहकर वापस भेज दिया गया, जिसमें न तो अपीलांट को आगामी पेशी बताई गई एवं न ही अपीलांट के आदेशिका में हस्ताक्षर करवाए गए, जिसके उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का एकतरफा निस्तारण दिनांक 09.04.2024 को कर दिया गया, जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं दी गई। अपीलांट को दिनांक 12.07.2024 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांट के कब्जेकाश्त की भूमि में हस्तक्षेप करने व अपने पक्ष में स्थगन आदेश पारित होने का कथन करने पर उक्त एकपक्षीय जैर अपील आदेश की जानकारी प्राप्त हुई। तत्पश्चात पत्रावली एवं अन्य दस्तावेज की नकलें दिनांक 12.07.2024 को प्राप्त की गई। अतः अंदर म्याद अपील प्रस्तुत की गई। विधिशून्य जैर अपील आदेश के विरूद्ध अपील हेतु कानूनन अवधि कोई बाधा नहीं हैं। अतः न्यायहित में विलंबकाल माफ कर अवर अपील को जानकारी दिनांक से अंदर अवधि शुमार फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.05.05 15:59:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रार्थना [illegible] अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का जवाब प्रस्तुत [illegible] अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित किए हैं। अपीलांट स्वयं दुर्भा[illegible] वाला व्यक्ति है। अपीलांट को न्यायालय उपखंड अधिकारी सोजत के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या

Scanned with OKEN Scanner

121/2023 में पारित आदेश दिनांक 09.04.2024 की बखूबी जानकारी थी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम के विपरीत होने के कारण खारिज फरमावें।

अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में निगरानी के निर्णय दिनांक 02.09.2024 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट की निगरानी को खारिज करते हुए दोनों पक्षों की सुनवाई की जाकर प्रकरण एक माह में निस्तारित करने के निर्देश प्रदान किए हैं। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निगरानी/टी.ए./6267/2024/पाली हारून मोहम्मद बनाम गनीखां व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.09.2024 में निम्न निर्देश प्रदान किए हैं– "अतः धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिए जाते हैं कि वे सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभयपक्ष को सुनकर प्रार्थना पत्र का निस्तारण करें तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का एक माह में विधिनुसार निस्तारण करना सुनिश्चित करावें। चूंकि प्रकरण का निस्तारण समय सीमा के तहत हो ताकि पक्षकारान को न्याय की उपलब्धता सुनिश्चित हों सकें। इसलिए आदेश 39 नियम 3–ए जा.दी. के तहत प्रावधित प्रावधानों के अनुसार राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश 39 नियम 3–ए जा.दी. के प्रावधानों के अनुसरण में उनके समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उभयपक्ष को सुनकर एक माह में निस्तारण करना सुनिश्चित करावें"

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में हस्तगत विचाराधीन प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतिम निस्तारण हेतु विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के निस्तारण में विधि एवं तथ्य की गंभीर भूल की हैं। वादग्रस्त प्रकरण के उभयपक्ष मुस्लिम सुन्नी विधि से शासित होते हैं। वादग्रस्त आराजी अपीलांट गनीखां की निजी संपत्ति है। जो पैतृक संपत्ति की श्रेणी में नहीं आती हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्वयं को अपीलांट का पौत्र अंकित करते हुए वादग्रस्त आराजी पैतृक होने के आधार पर दादा गनीखां के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वाद प्रस्तुत किया, जिसमें अपने पिता को पक्षकार भी नहीं बनाया गया था, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई। अपीलांट वृद्ध काश्तकार है। प्रकरण में अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा की जानकारी दिनांक 1[illegible].202[illegible] को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांट की भूमि पर हस्तक्षेप करने पर हुई। जिस पर अपीलांट द्वारा अधिवक्ता से संपर्क कर दिनांक 12.07.2024 को नकल हेतु आवेदन किया तथा नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की। अतः प्रार्थी द्वारा प्रकरण में जानबूझकर विलंब कारित नहीं किया गया है। विलंबकाल सद्भाविक है। अतः विलंबकाल माफ किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.05.05 15:59:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए अपीलांट के तर्क तथ्यों एवं कथनों का विरोध किया, तथा निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर विलंब किया गया है जबकि अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वादपत्र एवं स्थगन प्रार्थना पत्र में पक्षकार है। अतः अपीलांट को प्रश्नगत आदेश की भली–भांति जानकारी थीं। अपील अपीलांट म्याद बाहर होने से खारिज फरमावें साथ ही न्यायालय उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा प्रकरण मैरिट पर निस्तारण किया है अतः अपील भी खारिज फरमावें।

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुनते हुए उस पर मनन किया, अपील म्याद प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण के निगरानी में पारित निर्णय में प्रदत्त निर्देशों अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश, वादपत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र तथा संगत विधिक प्रावधानों का भली–भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया। बहस के दौरान प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक नजीरों का ससम्मान अवलोकन करते हुए प्रकरण के समुचित निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रकरण में सर्वप्रथम धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रार्थना पत्र का विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अपीलांट प्रार्थी द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रार्थना पत्र में विलंब के संबंध में निवेदन किया है कि अपीलांट संख्या 1 गनीखां द्वारा दिनांक 05.02.2024 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अधिवक्ता मुकर्रर करने हेतु समय चाहा गया तो अपीलांट को दिनांक 28.02.2024 की पेशी दी गई। इसके पश्चात अपीलांट दिनांक 28.02.2024 को अधीनस्थ न्यायालय में पहुंचा, तब पीठासीन अधिकारी न्यायालय में उपस्थित नहीं थें एवं अपीलांट को बाद में आने का कहकर वापस भेज दिया गया, जिसमें न तो अपीलांट को आगामी पेशी बताई गई एवं न ही अपीलांट के आदेशिका में हस्ताक्षर करवाए गए, जिसके उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का एकतरफा निस्तारण दिनांक 09.04.2024 को कर दिया गया, जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं दी गई। अपीलांट को दिनांक 12.07.2024 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांट के कब्जेकाश्त की भूमि में हस्तक्षेप करने व अपने पक्ष में स्थगन आदेश पारित होने का कथन करने पर जानकारी हुई, तत्पश्चात अधिवक्ता से संपर्क कर नकल हेतु आवेदन कर नकल आदि प्राप्त कर दिनांक 24.07.2024 को अपील प्रस्तुत की दी गई। अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होने के कारण अपीलांट का जवाब एवं पक्ष जाने बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट की प्रोपर तामील नहीं करवाई गई। अपीलांट संख्या 2 से 4 अपीलांट गनीखां की [illegible] रहती हैं, जिनकों प्रकरण की जानकारी नहीं थीं। प्रकरण का निस्तारण [illegible] के आधार पर किया जाना चाहिए। विलबकाल सद्भाविक है, प्रार्थी द्वारा कोई [illegible] की गई है। इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना [illegible] हुए निवेदन किया कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वादपत्र एवं स्थ[illegible] प्रार्थना पत्र में पक्षकार थें। अतः इन्हें आदेश दिनांक 09.04.2024 की भली–भांति जानकारी थीं। अपीलांट द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.05.05 15:59:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

लापरवाहीपूर्वक विलंब किया है। अतः अपील म्याद बाहर होने से विलंबकाल माफ नहीं किया जा सकता है।

2. पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हारून मोहम्मद द्वारा स्वयं को हारून मोहम्मद पौत्र गनीखां अंकित करते हुए प्रतिवादीगण गनीखां एवं उनकी तीन पुत्रियों के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत के समक्ष धारा 92–ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। आदेशिका दिनांक 05.02.2024 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित एवं अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। आदेशिका व अपीलांट गनीखां के हस्ताक्षर जिन्हें देखने मात्र से लगता है कि गनीखां मात्र साक्षर या स्वयं के हस्ताक्षर का ज्ञान रखता है। पत्रावली आगामी दिनांक 28.02.2024 को नियत की गई। दिनांक 28.02.2024 की आदेशिका में रीडर के हस्ताक्षर के साथ एक सील लगी हुई है जिसके अनुसार पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर हैं। अतः पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 09.04.2024 को पेश हों। उक्त दिनांक की आदेशिका के सामने न तो गनीखां के हस्ताक्षर है, न उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति का अंकन है तथा न ही इनकी ओर से किसी अधिवक्ता की ओर से वकालतनामा पेश किए जाने का अंकन है। इस प्रकार चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं आदेशिका पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं हैं, जिससे यह विश्वास किया जा सके कि दिनांक 28.02.2024 को अपीलांट गनीखां न्यायालय में उपस्थित हुआ या नहीं हुआ या इनकी ओर से कोई वकालतनामा प्रस्तुत हुआ या नहीं। अतः यह विश्वास योग्य नहीं हैं कि अपीलांट गनीखां को यह भली–भांति जानकारी हों कि प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 09.04.2024 है, अतः जब अपीलांट को आगामी तारीख पेशी की जानकारी ही नहीं हैं न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा किया जाना आवश्यक समझा एवं न ही ऐसा किया गया ताकि अपीलांट को आगामी तारीख पेशी की जानकारी हो जाए, क्योंकि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 09.04.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.04.2024 में यह अंकित किया है कि "अप्रार्थी संख्या 1 गनीखां दिनांक 05.02.2024 न्यायालय में उपस्थित हुए आज दिनांक को वकालतनामा पेश नहीं करने व उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध आज एकपक्षीय कार्यवाही की जाती हैं।" इस प्रकार स्पष्ट है कि विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा अपीलांट गनीखां को आगामी तारीख पेशी दिनांक 09.04.2024 की सूचना नहीं देने तथा अपीलांट को आगामी तारीख पेशी की जानकारी नहीं होने के बावजूद अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 09.04.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 09.04.2024 को ही आक्षेपित अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई। चूंकि प्रश्नगत निर्णय अपीलांट की जानकारी के अभाव में एवं अपीलांट की पीठ के पीछे दिनांक 09.04.2024 को जारी किया गया है अतः प्रार्थी अपीलांट का यह कथन विश्वास एवं स्वीकारयोग्य है कि उसे आक्षेपित निर्णय दिनांक 09.04.2024 की निर्णय दिनांक से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.05.05 15:59:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

ही जानकारी नहीं थीं। अतः प्रार्थी अपीलांट के इस कथन पर कि उसे आक्षेपित आदेश दिनांक 09.04.2024 की दिनांक 12.07.2024 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांट के कब्जेकाश्त की भूमि में हस्तक्षेप करने व अपने पक्ष में स्थगन आदेश पारित होने का कथन करने पर हुई, तत्पश्चात अधिवक्ता से संपर्क कर नकल हेतु आवेदन कर नकल आदि प्राप्त कर दिनांक 24.07.2024 को अपील प्रस्तुत की दी गई, पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण एवं आधार नहीं हैं। लिहाजा अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की जानबूझकर लापरवाही नहीं बरती गई है, प्रार्थी अपीलांट का कृत्य सद्भाविक है। अतः हमारा यह सुस्पष्ट एवं विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 सारवान होने एवं भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर विलंबकाल को माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय दिनांक 09.04.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत हस्तगत अपील का गुणावगुण के आधार पर विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

4. अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 121/2023 बअनवान हारून मोहम्मद बनाम गनीखां बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित निर्णय दिनांक 09.04.2024 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हारून मोहम्मद द्वारा स्वयं को हारून मोहम्मद पौत्र गनीखां अंकित करते हुए वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा नयागांव, चौपड़ा एवं चांदासनी में प्रार्थी की पुश्तैनी कदीम काश्त कब्जा एवं उत्तराधिकारिता में प्राप्त कृषि भूमि इस प्रकार है कि ए–सरहद मौजा चौपड़ा तहसील सोजत खसरां नंबर 1446, 1448 रकबा क्रमशः 1.7000, 0.3100 हैक्टेयर किस्म नहरी अव्वल कुल खसरा 2 कुल रकबा 2.0100 हैक्टेयर बी– सरहद मौजा चांदासनी तहसील सोजत – खसरा नंबर 665, 666/827 रकबा क्रमशः 0.8700, 0.4300 हैक्टेयर किस्म नहरी कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.3000 हैक्टेयर। सी– सरहद मौजा नयागांव तहसील सोजत खसरा नंबर 1, 146 तथा 147 रकबा क्रमशः 2.0900, 0.9500 एवं 0.6800 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कुल खसरा 3 कुल रकबा 3.7200 हैक्टेयर। डी– सरहद मौजा नयागांव तहसील सोजत खसरा नंबर 654/1 रकबा 0.7000 हैक्टेयर किस्म पेटा तालाबी इ– सरहद मौजा नयागांव तहसील सोजत खसरा नंबर 2, 73, 81 रकबा क्रमशः 3.2400, 1.0000, 0.9300 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा 3 कुल रकबा 5.1700 हैक्टेयर के संबंध में प्रतिवादीगण गनीखां एवं उनकी तीन पुत्रियों के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत [illegible] एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र में अपने पिता मजीद खां को पक्षकार संयोजित नहीं किया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी कदीम काश्त कब्जा एवं उत्तराधिकार से प्राप्त कृषि

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.05.05 15:59:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

भूमि है, जिसके राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदारी मुझ प्रार्थी के वृद्ध एवं मानसिक रूप से क्षुब्ध दादा गनीखां के नाम दर्ज है, जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए बख्शीश बेचान पर उतारू है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। आदेशिका दिनांक 05.02.2024 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित एवं अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। आदेशिका व अपीलांट गनीखां के हस्ताक्षर जिन्हें देखने मात्र से लगता है कि गनीखां मात्र साक्षर या स्वयं के हस्ताक्षर का ज्ञान रखता है। पत्रावली आगामी दिनांक 28.02.2024 को नियत की गई। दिनांक 28.02.2024 की आदेशिका में रीडर के हस्ताक्षर के साथ एक सील लगी हुई है, जिसके अनुसार पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर हैं। अतः पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 09.04.2024 को पेश हों। उक्त दिनांक की आदेशिका के सामने न तो गनीखां के हस्ताक्षर है, न उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति का अंकन है तथा न ही इनकी ओर से किसी अधिवक्ता की ओर से वकालतनामा पेश किए जाने का अंकन है।

5. विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 09.04.2024 अपीलांट की जानकारी के अभाव में एवं अपीलांट को आगामी तारीख पेशी की सूचना दिए बिना आगामी तारीख पेशी पर अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जारी किया गया जो उपलब्ध अभिलेख से प्रमाणित है।

6. चूंकि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरणों में तीन आधारभूत एवं सारवान बिन्दुओं यथा 1. प्रथमदृष्टया मामला 2. सुविधा का संतुलन एवं 3. अपूर्णनीय क्षति का पृथक–पृथक विवेचन किया जाना आवश्यक होता है तथा प्रार्थी द्वारा तीनों बिन्दुओं को साबित किए जाने की दशा में ही प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्तगत प्रकरण में उक्त तीनों बिन्दुओं का कोई विस्तृत एवं पृथक–पृथक विवेचन नहीं कर केवल यह अंकित करते हुए कि...... "प्रस्तुत दस्तावेजात राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदारी प्रार्थी के वृद्ध एवं मानसिक रूप से क्षुब्ध दादा श्री गनी खां के नाम की राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राजी होने का नाजायज फायदा उठाते हुए अप्रार्थीगण संख्या 2, 3 व 4 एवं उनके पति उक्त कृषि भूमि का चुपके से बेचान, बख्शीश, दान आदि करके जबरन हड़पने को उतारू होना बताया है। यदि अप्रार्थीगण यह करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। वस्तुतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बाद विनिश्चय विवादस्थ भूमि के मौके की यथास्थिति वाद निर्णय तक बनाए रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना उचित समझते हैं।"........ इस प्रकार आक्षेपित आदेश के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने विवेक का समुचित उपयोग नहीं किया है। [illegible] प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को अंकित करते हुए उन्हें स्वतः प्रमाणित माना है। प्रकरण का बिन्दुवार निर्णयन एवं विवेचन नहीं किया गया है, न ही [illegible] विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विवेचन किया गया है। अतः हमारे वि[illegible] मत में अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 09.04.2024 किसी भी दृष्टि से स्वीकार, समर्थन एवं पुष्टि

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली
Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.05.05 15:59:14 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with OKEN Scanner

योग्य नहीं हैं। पत्रावली के विस्तृत अवलोकन से प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

(क) <u>प्रथमदृष्टया मामला</u> – प्रथमदृष्टया मामला से तात्पर्य यह है कि क्या प्रार्थी वादी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र से संबंधित वादपत्र में वांछित अनुतोष वादपत्र के गुणावगुण एवं विस्तृत साक्ष्य पर गए बिना केवल पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी है ? यदि प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य द्वारा इसे नासाबित नहीं कर दिया गया हों। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वादपत्र की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हारून मोहम्मद द्वारा वादपत्र में वादग्रस्त आराजी उसकी पैतृक पुश्तैनी कब्जाकाश्त उत्तराधिकार से प्राप्त होने के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध धारा 92–ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष की मांग की हैं। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं वादपत्र में यह स्वीकार करते हैं कि वादग्रस्त आराजी उसके दादा प्रतिवादी संख्या 1 गनीखां के नाम खातेदारी में दर्ज है। वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत विचाराधीन वादपत्र के अनुतोष के संबंध में किसी प्रकार की टिप्पणी किए बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है, कि प्रथम तो धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वाद प्रस्तुत करने एवं अनुतोष प्राप्त करने के लिए यह प्रथम एवं आवश्यक शर्त है कि वादी वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार हो, लेकिन हस्तगत प्रकरण में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 गनीखां के नाम दर्ज है। वादी न तो अभिलिखित खातेदार है, व न ही खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत कोई अनुतोष चाहा है।

यह भी अवलोकनीय है कि वादग्रस्त आराजी से संबंधित पक्षकार मुस्लिम पर्सनल लॉ से शासित होते हैं तथा मुस्लिम विधि में पैतृक पुश्तैनी एवं सहदायिक के संबंध में कोई प्रावधान नहीं हैं। जबकि वादी द्वारा पैतृक पुश्तैनी सहदायिक आराजी के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा, अतः प्रथमदृष्टया मामला वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध एवं अपीलांट प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित होने से इसी अनुरूप निर्णित किया जाता है।

(ख) <u>सुविधा का संतुलन</u> – सुविधा का संतुलन का तात्पर्य वादग्रस्त आराजी से संबंधित हित एवं सुविधाओं का वर्तमान संतुलन किस के पक्ष में निहित है अर्थात इसका सीधा संबंध वादग्रस्त आराजी के कब्जेकाश्त एवं उपयोग–उपभोग से हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट प्रतिवादी गनीखां के नाम खातेदारी में दर्ज हैं। वादी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के साथ कोई दस्तावेज या तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह विश्वास किया जाए कि वादग्रस्त आराजी से संबंधित हित एवं सुविधाओं का वर्तमान संतुलन किस प्रकार उसके पक्ष में निहित है तथा यदि प्रतिवादीगण को तत्काल अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो उक्त संतुलन किस प्रकार से असंतुलित हो सकता है। यह भी स्पष्ट है कि आराजी से संबंधित सुविधाओं एवं हितों का संतुलन अभिलिखित खातेदार के पक्ष में ही निहित होना माना जाता है, जब तक कि इसे अन्यथा साबित नहीं कर दिया जाए। अतः यह बिन्दु भी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.05.05 15:59:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में साबित नहीं होने से इसे वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

(ग) अपूर्णनीय क्षति – चूंकि उपर्युक्त दोनों बिन्दु वादी रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध एवं अपीलांट के पक्ष में साबित हुए है। अपीलांट संख्या 1 गनीखां वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है तथा मुस्लिम विधि अनुसार उक्त आराजी के संबंध में पैतृक पुश्तैनी एवं सहदायिक के सिद्धांत लागू नहीं होते हैं बल्कि संपत्तिधारक ऐसी संपत्ति का एकमेव स्वामी माना जाता है। रेस्पोडेन्ट यह साबित करने में असफल रहे हैं कि यदि उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उसे किस प्रकार अपूर्णनीय क्षति हो सकती है जबकि वादी वादग्रस्त आराजी का न तो अभिलिखित खातेदार है एवं न ही खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत कोई अनुतोष चाहा गया है। अतः यह बिन्दु भी वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में साबित नहीं होने से इसे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध एवं अपीलांट के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 09.04.2024 अपीलांट की अनुपस्थिति में एवं अपीलांट को पक्ष रखने का अवसर दिए बिना, प्रकरण का उपलब्ध दस्तावेजात एवं संगत विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में बिन्दुवार विस्तृत विवेचन किए बिना जारी करने के कारण तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से आक्षेपित आदेश अपास्त/निरस्त किया जाना तथा वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हारून मोहम्मद द्वारा अपीलांट के विरूद्ध प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 121/2023 अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बिन्दुवार विवेचन से वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में साबित नहीं होने से इसे खारिज/अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 121/2023 बअनवान हारून मोहम्मद बनाम गनीखां अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित निर्णय दिनांक 09.04.2024 को अपास्त/निरस्त करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज/अस्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **16.10.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सहित सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.05.05 15:59:14 IST
Reason: SelfAttested

(भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner